

परियोजना का नाम- जनपद पौड़ी गढ़वाल में विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत सिलोगी-घनसाली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.530 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दस वर्षीय योजना

वृक्षारोपण स्थल का नाम- कडथी, क्षेत्रफल-3.060 हे०

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या- 6120

क्र. सं.	कार्य का नाम	इकाई (हे० में)	इकाई दर प्र०हे० (रु० में)	योग
1	2	3	4	5
1.	सर्वे एवं सीमांकन	3.060	68.00	208.08
2.	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	3.060	2320.00	7099.20
3.	अग्रिम दीवाल बन्दी (फेन्सिंग)	3.060	15309.00	46845.54
4.	मृदा एवं जल संरक्षण एवं संग्रहण हेतु कच्चे चाल-खालों का निर्माण एवं अन्य अभियांत्रिकी कार्यों हेतु प्राविधान	3.060	10000.00	30600.00
5.	गड़डा खुदान (0.30 x 0.30 x 0.45)	3.060	9580.00	29314.80
6.	निरीक्षण बटिया बनाना	3.060	568.00	1738.08
7.	पौधों का मूल्य	3.060	12888.00	39437.28
8.	अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयन्त्र, औजार तेज करना एवं अन्य कार्यों पर व्यय	3.060	600.00	1836.00
9.	अन्य कार्य	3.060	122.00	373.32
	योग:- प्रथम चरण-			157452.30
	द्वितीय चरण			
1.	गड़डा भरान (0.30 x 0.30 x 0.45)	3.060	1673.00	5119.38
2.	पौधों का मूल्य	3.060	4056.00	12411.36
3.	पौधे डुलान कार्य लोडिंग अनलोडिंग सहित	3.060	7876.00	24100.56
4.	पौधारोपण व थालाबन्दी	3.060	3440.00	10526.40
5.	निराई गुड़ाई व मल्विंग (दो बार)	3.060	4520.00	13831.20
6.	खाद व दवा पर व्यय	3.060	600.00	1836.00
7.	वृक्षारोपण क्षेत्र हेतु चौकीदार का पारिश्रमिक 9 माह	3.060	3834.00	11732.04
8.	8.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत	3.060	0.00	0.00
	सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे०	3.060	70.00	214.20
	8.2 सुरक्षा दीवार/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० की पट्टी साफ करना	3.060	200.00	612.00
	8.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीण को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	3.060	1000.00	3060.00
9.	अन्य व्यय साइन बोर्ड पौधे डुलान हेतु टोकरी, सुतली बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पॉलीथीन सीट क्रय वर्ष में दो तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्टडी कार्य को प्रचार-प्रसार एवं डेक्कमैटेशन आदि कार्य	3.060	900.00	2754.00
10.	अन्य कार्य-	3.060	300.00	918.00
	योग द्वितीय चरण-			87115.14

75

वृक्षारोपण का प्रथम वर्ष का रख-रखाव			
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष में अनुरक्षण कार्य (एक श्रमिक 12 माह)	3.060	5112.00
2.	21 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे०	3.060	70.00
	22 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	3.060	200.00
	23 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	3.060	1000.00
3.	अन्य कार्य (मलचिंग एक बार, झाड़ी कटान अग्नि सुरक्षा)	3.060	4840.00
	योग:-		34339.32
वृक्षारोपण का द्वितीय वर्ष का रख-रखाव			
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य	3.060	5112.00
2.	अन्य कार्य (मलचिंग एक बार व अन्य कार्य)	3.060	2650.00
	योग:-		23751.72
वृक्षारोपण का तृतीय वर्ष का रख-रखाव			
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य	3.060	5623.00
2.	अन्य कार्य	3.060	77.00
	योग:-		17442.00
वृक्षारोपण का चतुर्थ वर्ष का रख-रखाव			
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष में अनुरक्षण कार्य	3.060	6185.00
2.	अन्य कार्य	3.060	85.00
	योग:-		19186.20
वृक्षारोपण का पाँचवें वर्ष का रख-रखाव			
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त पाँचवें वर्ष में अनुरक्षण कार्य	3.060	6804.00
2.	अन्य कार्य	3.060	94.00
	योग:-		21107.88
वृक्षारोपण का छठे वर्ष का रख-रखाव			
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त छठे वर्ष में अनुरक्षण कार्य	3.060	7484.00
2.	अन्य कार्य	3.060	103.00
	योग:-		23216.22
वृक्षारोपण का सातवां वर्ष का रख-रखाव			
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त सातवां वर्ष में अनुरक्षण कार्य	3.060	8232.00
2.	अन्य कार्य	3.060	113.00
	योग:-		25535.70
वृक्षारोपण का आठवें वर्ष का रख-रखाव			
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त सातवां वर्ष में अनुरक्षण कार्य	3.060	9055.00
2.	अन्य कार्य	3.060	124.00
	योग:-		28087.74
	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की कुल लागत-		437234.22
	या-		438000.00

(रु० चार लाख अड़तीस हजार मात्र)

सहायक अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, ले० नि० वि०, लेन्सडी।
 उप प्रमाणीय वनाधिकारी, प्रान्तीय खण्ड ले० नि० वि०, लेन्सडी।
 सहायक अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, ले० नि० वि०, लेन्सडी।
 प्रमाणीय वनाधिकारी, प्रान्तीय खण्ड ले० नि० वि०, लेन्सडी।
 सहायक अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, ले० नि० वि०, लेन्सडी।
 प्रमाणीय वनाधिकारी, प्रान्तीय खण्ड ले० नि० वि०, लेन्सडी।